उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

हमारा संकल्प – ''पिछड़े वर्गों का उत्थान एवं हित संरक्षण''

तृतीय तल, इन्दिरा भवन,
अशोक मार्ग, लखनऊ

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 के 4–(1)(बी) के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग, की प्रस्तरवार सूचना/विवरण निम्नवत् है :–

1 **संगठन की विशिष्टयां, कृत्य और कर्तव्य :–**

भारत के संविधान में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधायें एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। ताकि इन जातियों/वर्गों का बहुमुखी विकास एवं जीवन स्तर अन्य वर्गों के समान हो सके। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा गठित बी0पी0 मण्डल आयोग की संस्तुतियों के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम् न्यायालय की नौ सदस्यीय विशेष संविधान पीठ ने इन्द्रा साहनी बनाम भारतीय संघ वाद में अपने ऐतिहासिक फैसले सन् 1992 में परमादेश जारी किया गया कि अन्य पिछड़े वर्गों में जातियों को निष्कासित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे ट्रिब्युनल या आयोग गठित किए जायेगे जो शासन को अपनी संस्तुतियॉ प्रस्तुत करेंगे। जिन्हें राज्य सरकार सामान्यतया मानने के लिए बाध्य होगी। अतः राज्याधीन आदि सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गो को अनुमन्य आरक्षण हेतु पिछड़े वर्गों की सूची में अपेक्षित समावेश अथवा निष्कासन करने एवं तत्सम्बन्धी शिकायतों पर सम्यक् रूप से विचार कर संस्तुति देने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा एक स्थायी आयोग के गठन/स्थापना की सहर्ष स्वीकृति शासनादेश संख्या 22/16/92 –कार्मिक–2 दिनॉक 09 मार्च, 1993 द्वारा प्रदान की गयी है। आयोग में माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यों के सितम्बर 1993 में कार्यभार ग्रहण करने के साथ अस्तित्व में आया।

उत्तर प्रदेश सरकार के विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या-34/XVII-V-1-1(KA)44-1996, Dated Lucknow, January 5, 1996 द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य आयोग अधिनियम–1996 लागू किया गया। जिसमें एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने की व्यवस्था थी, तदोपरान्त विधायी अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1187/79–वि–1–07–01–(क) 29–2007 लखनऊ, 09 जुलाई, 2007 द्वारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 निर्गत किया गया। जिसके द्वारा अधिनियम को संशोधित करके आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सत्रह सदस्यों, जिनमें से अध्यक्ष सहित सोलह सदस्य पिछड़ा वर्गों से होने और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए या राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करने और अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को क्रमशः राज्य मंत्री एवं उपमंत्री की प्रास्थिति प्राप्त होने की व्यवस्था दी गयी। इसके बाद विधायी अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 323/79–वि–1–14–1–(क)7–2014 लखनऊ, 04 मार्च, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2014 निर्गत किया गया, जिसके द्वारा अन्य सदस्यों की संख्या को सत्रह से बढ़ाकर पच्चीस कर दी गयी और अल्पसंख्यक समुदाय से कम से कम एक प्रतिनिधि आयोग में सदस्य के रूप में नाम–निर्दिष्ट करने की व्यवस्था कर दी गयी है।

2 आयोग के निर्धारित दायित्व एवं शक्तियॉ :–

आयोग के कार्य :–

(क) आयोग अनुसूची में किसी वर्ग के नागरिकों को पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किये जाने के अनुरोधों का परीक्षण करेगा और अनुसूची में किसी पिछड़े वर्ग के गलत सम्मिलित किये जाने या न किए जाने की शिकायतें सुनेगा, और राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसी वह उचित समझे।

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करेगा और ऐसे रक्षोपायों के प्रणाली का मूल्यांकन करेगा।

(ग) पिछड़े वर्गों के अधिकारों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जॉच करेगा।

(घ) पिछड़े वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उस पर सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(ङ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(च) पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों के सम्बन्ध में, जो राज्य सरकार द्वारा किए जायें, सिफारिश करना।

(छ) पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का, जो राज्य सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किये जाये, निर्वहन करना।

आयोग की शक्तियॉ :–

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–1, सन् 1996 की धारा–9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी और विशेषत: निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में शक्यिॉ प्राप्त होगी, अर्थात् :–

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना।
(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।
(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।
(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज की या उसकी प्रतिलिपि की अधियाचना करना।
(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(च) अन्य कोई विषय जो विहित किया जाये।

आयोग अधिनियम की धारा–5(1) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार आयोग को एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जो आयोग के कृत्यों के दक्षता पूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक हों। अतः नियमों के अनुरूप आयोग के निर्देश/आदेश ही आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य हैं।

3 उत्तर प्रदेश के पिछड़ें वर्गों के लिए राज्य आयोग राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–1, सन् 1996 में निर्धारित व्यवस्था अनुसार आयोग द्वारा कार्य किये जाते हैं।

रजि0 नं0 एल0डब्लू/एन0पी0 890
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0 – 41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 जनवरी, 1996

पौष 15, 1917 शक सम्वत्

UTTAR PRADESH SARKAR

VIDHAYI ANUDHAG -1

NO-34/XVII-V-1-1 (KA) 44-1996

Dated Lucknow, January 5, 1996

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

The following President's Act enacted on January 5, 1995 is published for general information:-

UTTAR PRADESH STATE COMISSION FOR BACKWARD CLASSES ACT, 1996

(President's Act No.1 of 1996)

[Enacted by the President in the Forty-sixth year of the Republic of India]

AN

ACT

to constitute a Commission for the State of Uttar Pradesh for Backward Classes other than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and to provide for matters Connected therewith or incidental.

In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Uttar Pradesh State Legislative (Delegation of Powers) Act, 1995, the President is pleased to enact as follows:- 2 of

CHAPTER-I

Preliminary

Short title and commcement

I. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Act, 1996.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 17, 1994.

Definition

2. In this Act-

(a) "backward Classes" means such classes of citizens as are defined in clause (b) of section 2 of the Uttar Pradesh Public

Services Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 as amended from time to time:

(b) "Commission" means the State Commission for Backward Classes constituted under Section 3:

(c) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairman:

(d) "Schedule" means Schedule I to the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes)Act, 1994 as amended from time to time.

CHAPTER-II

The State Commission for Backward Classes

Constitution of the State Commission for Backward Classes

3. (1) The State Government shall constitute a body to be known as the State Commission for Backward Classes to exercise the powers conferred on and to perform the fuunctions assigned to it under this Act.

(2) The headquarters of the Commission shall be at such place as the State Government may, by notification, specify.

(3) The Commission shall consist of a Chairman and four other Members nominated by the State Government from amongst persons of eminence, ability and integrity.

Term of office and condition of Service

4.(1) The Chairman and every other member shall hold

office of a term of three years from the date he assumes office.

(2) A Member may, be writing under his hand addressed to the Governor, resign from the office of Chairman or, as the case may be, of Member at any time but shall continue to hold office untill his resignation is accepted.

(3) The State Government shall remove a person from the office of Member if that person-

(a) becomes an undischarged insolvent;

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government,involves moral turpitude;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(d) refuses to act or becomes incapable of acting;

(e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission,or

(f) has, in the opinion of the State Government, so abused the position of Chairman or Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of backward classes or the public interest:

Provided that no person shall be removed under this clause until that person has been given an opportunity of being

heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh appointment.

(5) The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the Chairman and Members shall be such as may be prescribed.

Officers and of her employees of the Commission.

5.(1) The State Government shall provide the Commission with a Secretary and such other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.

(2) The salaries and allowances payable to, and others terms and conditions of service of, the Secretary and other officers and employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.

Salaries and allowances to be paid out of grants.

6. The salaries and allowances payable to the Chairman and Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the officers and other employees referred to in Section 5, shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of section 12.

Vacancies, etc. not to invalidate proceedings of the Commission.

7. No act or proceeding of the Commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

Procedure to be regulated by the Commission.

8.(1) The Commission shall meet as and when necessary

at such time and place as the Chairman may think fit.

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) All orders and decision of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Secretary in this behalf.

CHAPTER-III

Functions and powers of the Commission

9. (1) The Commission shall perform all or any of the following functions, namely:- Functions of the Commission

(a) the Commission shall examine requests for inclusion of any class of citizens as a backward class in the schedule and hear complaints of wrong inclusion or non-inclusion of any backward class in the Schedule and tender such advice to the State Government as it deems appropriate;

(b) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the backward classes under any law for the time being in force or under any order of the State Government and to evaluate the working of such safeguards;

(c) to enquire into specific complaints with respect to the deprivation of right and safeguards of the backward classes;

(d) to participate and advice on the planning process of socio-economic development of the backward classes and to evaluate the progress of their development;

(e) to present to the State Government Annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;

(f) to make in such reports recommendations, as to the measures that should be taken by the State Government for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the backward classes; and

(g) to discharge such other function in relation to the protection, welfare, development and advancement of the backward classes as may be referred to it by the State Government.

(2) The State Government shall cause the reports of the Commission to be laid before each House of the State Legislature alongwith a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations and the reason for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

Powers of the Commission

10. The Commission shall, while performing its functions under sub-section (1) of section 9, have all the powers of a civil court trying a suit and in particular, in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person

and examining him on oath; 45 or

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office:

(e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents; and

(f) any other matter which may be prescribed.

Periodic revision of the Schedule by the State Government

11. (1) The State Government may at any time and shall, at the expiration of ten years from the coming into force of the Act and every succeeding period of ten years thereafter, under take revision of the Schedule with a view to excluding from the Schedule those classes who have ceased to be backward classes or for including in the schedule new backward classes.

(2) The State Government shall, while undertaking any revision referred to in sub-section (1) consult the Commission.

CHAPTER-IV

Finance, accounts and audit

Grants by the State Governing

12.(1) The State Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to be Commission by way of grants such sums of money as the State Government to think fit for being utilized for the purposes of

this Act.

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section(1).

Accounts audit

13. (1) The commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form and manner as may be prescribed.

(2) The accounts of the Commission shall be audited by such auditor and at such intervals as may be pescribed.

Annual report

(3) The auditor shall have such powers of requiring the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and for inspecting any of the offices of the Commission as may be prescribed.

Annual report and audit report to be laid before the State legislature

14. The Commission shall prepare annual report for each financial year, in such form and at such time, as may be prescribed giving a full account of its activities during that financial year and forward a copy thereof to the State Government.

15. The State Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the advice tendered by the Commission under Section 9 and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such advice, and the audit

report to be paid as soon as may be after they are received before both the Houses of the State Legislature.

CHAPTER-V

Miscellaneous

45 on 16. The Chairman, members and employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. Chairman, Members & employees of the Commission to be public servants power to make rules.

17.(1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generally of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, mamely:-

(a) Salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chairman and Members under sub section (8) of section 4 and of officers and other employees, under sub-section (2) of section 5:

(b) the form in which the annual statements of accounts shall be maintained under sub-section (1) of section 13;

(c) the form in, and the time at which the annual report shall be prepared under section 14;

(d) any other matter which is required to be or may be prescribed.

18. Whoever, being legally bound to obey any order or Penalty

34 of

direction of the Commission under Section 10 disobeys such order of direction shall be punishable under Section 174, 175, 176, 178, 179 or180ofthe Indian Penal Code, as the case may be.

Cognizance of offences.

19. No court shall take cognizance of any of the offences specified in section 18 except on the complaints in writing of the Chairman or a member or of an officer of the Commission authorized in this behalf by the Commission.

Protection of action taken in good faith

20. No suit, prosecution or other legal proceeding shall be against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder.

Power to remove difficulties

21. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may,by a notified order, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty.

(2) No order under sub0section (1) shall be made after the expiration or a period of two years from the commencement of this Act.

U.P.Act no.1 of 1904

(3) The provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act,1904 shall apply to the order made under sub-section (1) as they apply in respect of

rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Saving

22. Notwithstanding anything in this Act the Commission constituted by the Uttar Pradesh Government Order No. 22/16/92-Ka-2-93, dated March 9, 1993, shall be deemed to have been duly constituted under the provisions of this act and the terms of three years of the Chairman and other Members of the said Commission shall be computed from the date of which they had assumed charge of their respective officers.

Repeal and savings

23.(1) The Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (second) Ordinance, 1995 is hereby repealed. U.P. Ordinance no.334 of1995

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any section taken under the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have done or taken under this Act.

SHANKER DAYAL SHARMA
President
K.L. MOHANPURIA
Secretary to the Government of India.

Reasons for the enactment

In pursuance of the judgement of the Hon'ble Supreme Court in the Mandal Commission Case (Indira Sahani Vs. Union of India), the State Government constituted a commission for Backward classes by notification dated 9th March, 1993. It was decided to regulate the constitution of the said Commission by an enactment. It was further decided that besides examining the request for inclusion of any class of citizens as backward class and

complaints of wrong inclusion or non-exclusion in the list of Backward Classes, the Commission may also perform other specified functions with a view to safeguard of the interest and welfare of the Backward classes.

2. Since the State Legislature was not in session immediate legislative action in the matter was necessary, the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Ordinance, 1994 (U.P. Ordinance No. 26 of 1994) was promulgated by the Governor on the 17th November, 1994. To replace the provisions of the aforesaid Ordinance the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Bill, 1995 was introduced in the Uttar Pradesh Legislative Council on the 6tth February, 1995 but since the said Bill could not be passed by the Uttar Pradesh Legislative Council, the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes Ordinance, 1995 (U.P. Ordinance No.12 of 1995) was promulgated by the Governor on the 30th March, 1995 to keep the provisions of the aforesaid Ordinance in force.

3. Since the aforesaid bill could not be passed in the session of the State Legislature, commencing from the 14th July,1995, and remained pending with the Legislative Assembly, the Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Second) Ordinance, 1995 (U.P. Ordinance No. 34 of 1995) was promulgated by the Governor on the 25th August, 1995 to replace the provisions of the aforesaid U.P. Ordinance No.1 2 of 1995.

4. The President issued a proclamation on the 18th October, 1995 under Article 356 of the Constitution, in relation to the State of Uttar Pradesh, declaring, inter alia, that the powers of Legislature of the State shall be exercised by or under the authority of Parliament. Parliament has,under Article 357(1)(a) of the Constitution, now conferred on the

President, the powers of the Legislature of the State of Uttar Pradesh to make laws vide the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1995 (2 of 1996).

5. The said Ordinance could not be replaced by an Act and the Ordinance is expiring on the 7th January, 1996. It is, therefore, decided that the said Ordinance shall be replaced by a President's Act.

6. Under the Provisions to sub-section (2) of Section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1995 (2 of 1996) the President shall, before enacting any President's Act, consult a Committee constituted for the purpose consisting of the members of both the Houses of Parliament. As the said Committee has yet not been constituted and the matter is very urgent, it is proposed to enact the measure without reference to the said Committee.

K.B. SAXENA
Secretary to the Government of India

By Order
R.D. MATHUR
Pramukh Sachiv

4 आयोग अधिनियम की धारा–8 (2) के अनुसार प्रक्रिया और कार्यसंचालन विनियमावली–1999 बनायी गयी है। जिसके अनुसार कार्य किया जा रहा है। प्रक्रिया और कार्यसंचालन विनियमावली–1999 जो निम्नवत् है :–

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
उत्तर प्रदेश

प्रक्रिया और कार्यसंचालन विनियमावली – 1999

तृतीय तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ – 226001

उ0प्र0 पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग अधिनियम–1999 की धारा–8 की उपधारा–2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग निम्नलिखित विनियमावली बनाता है:–

उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग (प्रक्रिया और कार्य संचालन विनियमावली–1999)

1. (क) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग (प्रक्रिया और कार्य सचालन विनियमावली–1999) कही जायेगी।

(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. (क) ''अधिनियम'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग अधिनियम–1996 से है।

(ख) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग अधिनियम–1996 की धारा–3 के अधीन गठित पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग से है।

(ग) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है।

(घ) ''सदस्य'' से तात्पर्य आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत आयोग के अध्यक्ष भी है।

(ड.) ''समिति/पीठ'' का तात्पर्य अध्यक्ष द्वारा सदस्यों से गठित समिति/पीठ से है।

(च) ''सरकार''' से तात्पर्य उ0प्र0 सरकार से है।

(छ) ''सचिव'' से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के सचिव से है।

3. सुनवाई तथा अन्य कार्य हेतु गठित समिति/पीठ का बैठक भी आयोग की बैठक मानी जायेगी।

4. विनिमय (3) में सन्दर्भित आयोग के बैठक के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ :–

(क) आयोग की बैठक सामान्यतया प्रत्येक माह में पहली व पन्द्रह तारीख को होगी यदि उक्त दिनांक में कार्यालय बन्द रहता है तो अगले कार्य दिवस

में बैठक होगी। ऐसी बैठक के अतिरिक्त आवश्यकता होने पर आयोग की ऐसी बैठक अध्यक्ष किसी भी दिन बुलाने के निर्देश दे सकते हैं।

(ख) आयोग की ऐसी बैठक बुलाने के लिये किसी सदस्य के अनुरोध पर भी अध्यक्ष विचार करते हुए बैठक के निर्देश दे सकते है।

(ग) आयोग की ऐसी बैठक की कार्य सूची सचिव के हस्ताक्षर से सभी सदस्यों के लिए उनके वैयक्तिक सहायकों को प्राप्त करायी जायेगी। सम्बन्धित वैयक्तिक सहायकों का कर्तव्य होगा कि वह सम्बन्धित सदस्य को ऐसी कोई कार्य सूची से अवगत करायें। वैयक्तिक सहायक को प्राप्त करायी गयी कार्यसूची सम्बन्धित सदस्य को प्राप्त होना माना जायेगा।

(घ) आयोग की बैठक की कार्यसूची वह होगी जो अध्यक्ष निर्धारित करेंगे। किसी सदस्य द्वारा कोई विषय आयोग की बैठक में रखने की यदि कोई अनुरोध बैठक की कार्यसूची सदस्यों को दिये जाने से पूर्व प्राप्त होता है तो ऐसे विषय को भी बैठक की कार्यसूची में अध्यक्ष की अनुमति से सम्मिलित किया जा सकेगा।

(ड.) आयोग की ऐसी बैठक की गणपूर्ति आयोग के तीन सदस्यों से होगी। बैठक के लिये गणपूर्ति न होने पर ऐसी बैठक किसी अन्य तिथि के लिये स्थगित कर दी जायेगी, जिसकी सूचना सभी सदस्यों को दी जायेगी। स्थगित की गयी बैठक के लिये दो सदस्यों को गणपूर्ति पूरा होना माना जायेगा।

(च) आयोग की बैठक में निर्णय यदि सर्वसम्मति से नहीं होता तो बहुमत के अनुसार निर्णय जो होगा वह आयोग का निर्णय माना जायेगा। यदि मत बराबर हों तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा, जो उनके सामान्य मत के अतिरिक्त होगा।

5. आयोग की बैठक सामान्यतया आयोग के मुख्यालय, लखनऊ में होगी। परन्तु आयोग की बैठक मुख्यालय से बाहर किसी अन्य स्थान पर भी करने में कोई बाधा नही होगी।

6. **समिति/पीठ**

आयोग के सदस्यों के बीच कार्य का बंटवारा अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। कार्यों को निपटाने के लिये अध्यक्ष सदस्यों की एक सदस्यीय/बहुसदस्यीय समिति/ पीठ का एक या अधिक गठन कर सकते हैं। आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा कार्य विभाजन में परिवर्तन या उपान्तर किया जा सकता है। ऐसी समिति जिसमें अध्यक्ष सम्मिलित न हों, की संस्तुति अध्यक्ष के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन किये जाने पर समिति/पीठ की ऐसी संस्तुति आयोग द्वारा की गयी संस्तुति मानी जायेगी। यदि समिति/पीठ की संस्तुति को आयोग की बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा, परन्तु अन्य किसी नियम में अन्यथा प्राविधान होते हुए भी प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसी संस्तुति पर विचार किसी बैठक में किया जा सकेगा, जिसमें सम्बन्धित समिति/पीठ के सदस्यों व अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य उपस्थित हो। उस बैठक में लिये गये निर्णय को आयोग की संस्तुति माना जायेगा।

7. **बैठक की सूचना देने के सम्बन्ध में**

प्रत्येक पहली व पन्द्रह तारीख बैठक के अतिरिक्त आयोग की अन्य बैठक की तिथि की सूचना सम्बन्धित सदस्यों को सचिव द्वारा दी जायेगी।

यह सूचना सचिव के न रहने पर उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा भी दी जा सकती है। अपरिहार्य परिस्थितियों में अध्यक्ष अपने कैम्प के माध्यम से भी नोटिस जारी कर सकते हैं।

8. **अधिनियम की धारा–9(1)(क) के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया**

(क) इससे सम्बन्धित प्रत्यावेदन का प्रारम्भिक परीक्षण तथा आयोग के विचार हेतु आख्या प्रस्तुत करने का कार्य उस सदस्य द्वारा किया जायेगा जिसे प्रत्यावेदन अध्यक्ष द्वारा भेजा जायेगा।

(ख) एक माह में विभिन्न जातियों के प्राप्त प्रत्यावेदनों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक प्राथमिकता का निर्धारण अगले माह के प्रथम सप्ताह में होने वाली आयोग की बैठक में किया जायेगा।

(ग) प्राथमिकता निर्धारण के उपरान्त सार्वजनिक सूचना के माध्यम से क्रमिक रूप से तिथिवार प्राप्त प्रत्यावेदनों की प्रारम्भिक सुनवाई हेतु आयोग की ओर से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जायेगी। ऐसी सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार–पत्र जिसका सम्बन्धित क्षेत्र में प्रसार हो, प्रकाशित की जायेगी। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित प्रत्यावेदनकर्ता को सुनवाई की सूचना पत्र द्वारा भेजी जायेगी।

(घ) प्रारम्भिक सुनवाई आयोग द्वारा की जायेगी। सुनवाई के पश्चात् आयोग यदि प्रत्यावेदन पर आगे कार्यवाही करना उपयुक्त नहीं पाये तो प्रकरण को समाप्त कर दिया जायेगा। यदि आयोग आगे कार्यवाही करने का निर्णय ले तो निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगीः–

(अ) आयोग के सर्वेक्षण प्रभाग द्वारा स्थानीय जांच एवं सर्वेक्षण सम्बन्धित जाति/वर्ग के सम्बन्ध में किया जायेगा। ऐसे सर्वेक्षण एवं स्थानीय जांच के लिये आयोग के सर्वेक्षण प्रभाग के अतिरिक्त अध्यक्ष द्वारा इस कार्य हेतु नामित द्विसदस्यीय समिति भी सम्बन्धित क्षेत्र में भ्रमण करके जानकारी कर सकेगी। ऐसे भ्रमण में समिति विभिन्न समुदायों के लोगों से भी जानकारी प्राप्त कर सकेगी। समिति द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट में इसका पूर्ण विवरण दिया जायेगा जिसमें उन नागरिकों/संस्थाओं व क्षेत्र का नाम होगा, जिनसे बातचीत व जानकारी की गयी।

सर्वेक्षण प्रभाग द्वारा किये जाने वाले सर्वेक्षण की ऐसी प्रश्नावली में आवश्यक रूप से सम्बन्धित अन्य निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्न होंगे:–

(1) सम्बन्धित समुदाय में ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं संस्कृतिक पृष्ठभूमि और सामान्य जानकारी के सम्बन्ध में।

(2) परिवार जानकारी के सम्बन्ध में।

(3) विभिन्न अन्य समुदायों के मत जानने सम्बन्धी।

(ड.) सर्वेक्षण प्रभाग की रिपोर्ट व समिति की रिपोर्ट (यदि समिति ने भी जांच किया हो) प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रकरण पर अन्तिम सुनवाई हेतु तिथि निश्चित की जायेगी। जिसकी सार्वजनिक सूचना दो दैनिक समाचार–पत्रों में जिनका सम्बन्धित क्षेत्र में प्रसार हो, प्रकाशित की जायेगी तथा प्रार्थी व आपत्तिकर्ता (यदि कोई हो) को कार्यालय द्वारा सूचना नोटिस भेजकर दी जायेगी।

(च) अन्तिम सुनवाई आयोग द्वारा की जायेगी जिसमें कम से कम तीन सदस्यों (जिनमें अध्यक्ष भी सम्मिलित होंगे) की उपस्थिति आवश्यक होगी। ऐसी सुनवाई के समय प्रत्यावेदनकर्ता या आपत्तिकर्ता (यदि कोई हो) द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को लिया जायेगा और पक्षकारों को तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(छ) सुनवाई करने वाली समिति द्वारा प्रत्यावेदन पर संस्तुति स्थल जांच रिपोर्ट आदि तथा अन्य उपलब्ध कराये गये जानकारी एवं आंकड़े साक्ष्य को विचार में लेते हुए की जायेगी। यदि कोई सदस्य अपनी भिन्न संस्तुति करे तो आयोग की बैठक में उस पर विचार किया जायेगा और विचार–विमर्श के पश्चात् आयोग की संस्तुति को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

(ज) आयोग की संस्तुति प्रदेश शासन को प्रेषित किया जायेगा।

9. <u>अधिनियम की धारा–9(1)(ख) से सम्बन्धित मामलों के रूप के लिये प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होगी।</u>

(क) पिछड़े वर्गों के लिये उपबन्धित रक्षापायों से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण एवं मूल्यांकन आयोग द्वारा सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन प्रभाग के अन्वेषण अधिकारियों से विभाग/संस्थावार कराया जायेगा और सम्बन्धित विभाग यह कार्य अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य/समिति के मार्ग–निर्देशन /निर्देश के अधीन किया जायेगा।

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों के लिये हित रक्षण उपायों की मास्टर चेक लिस्ट विभाग/संस्थावार तैयार करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही इसके सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं के आंकड़े भी एकत्रित करने होंगे। इस कार्य हेतु सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन प्रभाग के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण अधिकारी को आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा अधिकृत सदस्य/समिति मार्ग–दर्शन प्रदान करेगी।

(ग) आयोग के सर्वेक्षण एवं शोध अधिकारियों द्वारा संस्थावार अन्वेषण और मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार की जायेगी। उन्हीं के द्वारा निश्चित समयावधि में अनुश्रवण करने की प्रणाली भी विकसित की जायेगी। इस कार्य हेतु सम्बन्धित कर्मचारी एवं अध्यक्ष द्वारा नामित/अधिकृत सदस्य विभिन्न स्तरों में भाग लेने के सम्बन्ध में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सम्बन्धित संस्था/विभाग की इकाईयों का भ्रमण अधावधिक अनुश्रवण रिपोर्ट के विश्लेषण एवं संस्तुति हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(घ) अध्यक्ष द्वारा अधिकृत सदस्य/समिति इन अनुश्रवण रिपोर्ट को प्रदेश शासन को प्रेषित करेगा।

(ड.) ऐसी रिपोर्ट पर आयोग विचारोपरान्त संस्तुति प्रदेश शासन को प्रेषित करेगा।

(च) आयोग विभिन्न विभागों/संस्थाओं से पिछड़े वर्गों के रक्षोपायों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग/संस्थाओं द्वारा की गयी कार्यवाही के विवरण भी मांग सकेगा।

10. **अधिनियम की धारा–9(1)(ग) पिछड़े वर्गों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों के सम्बन्ध में प्रक्रिया :–**

(क) शिकायत प्राप्त होने पर अध्यक्ष द्वारा उसे किसी सदस्य को चिन्हित किया जा सकता है। ऐसे सदस्य द्वारा शिकायत का परीक्षण करने पर यह पाया जाय कि शिकायत के सम्बन्ध में जांच/सुनवाई करना उपयुक्त होगा तो उसके लिये एतद्पश्चात् उपबन्धित वह खण्ड (ख) व (ग) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। यदि शिकायत का प्रारम्भिक परीक्षण करने पर यह पाया जाये कि वह उस पर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे मामले को आयोग की बैठक में रखकर विचार किया जायेगा। विचारोपरान्त यदि शिकायत पर आयोग द्वारा कार्यवाही किया जाना उपयुक्त न पाया जाय तो ऐसी शिकायत को पत्रावलित कर दिया जायेगा। बैठक में यदि उस शिकायत के सम्बन्ध में जांच/सुनवाई का निर्णय किया जाय तो एतद्पश्चात् उपबन्धित खण्ड (ख), (ग) व (घ) के अनुसार जांच/सुनवाई की जायेगी।

(ख) जिस शिकायत के सम्बन्ध में जांच/सुनवाई किये जाने का विनिश्चय हो, उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/प्राधिकारी को शिकायती–पत्र की प्रति भेजते हुए उस पर आख्या चार प्रतियों में निर्धारित अवधि तक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जायेगी। इस सम्बन्ध में नोटिस ऐसे प्रपत्र पर भेजी जायेगी जैसा कि आयोग निर्धारित करे। आख्या प्राप्त हो जाने पर अथवा अवसर दिये जाने के बावजूद आख्या न दिये जाने पर सुनवाई की तिथि निर्धारित की जायेगी जिसकी लिखित सूचना सम्बन्धित व्यक्तियों

को ऐसे प्रपत्र पर, जैसा कि आयोग निर्धारित करे, भेजी जायेगी। सुनवाई की प्रथम तिथि अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जायेगी।

जिस मामले में त्वरित कार्यवाही की आवश्कता हो उसमें आख्या व सुनवाई हेतु तिथि एक साथ निश्चित कराते हुए नोटिस भेजी जायेगी।

(ग) जांच/सुनवाई आयोग की समिति/पीठ करेगी। आवश्कतानुसार इस जांच से सम्बन्धित त्वरित रूप से किसी संस्था/विभाग से जानकारी/आंकड़े आदि प्राप्त करने हेतु आयोग की ओर उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी भेजे जा सकते हैं जो इन जानकारियों/आंकड़ों की आयोग की जांच की आवश्यकता के अनुसार यथाशीघ्र एकत्रित करेंगे और मुख्यालय पर सम्बन्धित समिति/पीठ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(घ) सम्बन्धित समिति/पीठ द्वारा इस प्रकार की विशिष्ट जांच की सुनवाई में सभी तर्कसंगत रूप से आवश्यक प्रक्रियाएं अपनायी जायेंगी। इसमें शिकायतकर्ता एवं विरोधी पक्ष को बुलाकर आमने–सामने उनके पक्ष को सुनना तथा एक दूसरे के उठाये गये बिन्दुओं पर बहस करने का अवसर प्रदान करना तथा अन्य नैसर्गिक न्याय के सभी नियमों को अपनाया जाना सम्मिलित है।

(ङ.) सम्बन्धित शिकायत पर आयोग की संस्तुति सरकार के सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के पास अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(च) स्वायत्तशासी संस्थाओं से सम्बन्धित शिकायतों पर आयोग की संस्तुति की प्रति स्वायत्तशासी संस्था के प्रमुख (विभागाध्यक्ष) को प्रेषित की जायेगी।

11. अधिनियम की धारा–9(1)(घ) के सम्बन्ध में प्रक्रिया

(क) आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेने और उन पर सम्बन्धित बैठक में सलाह देने के लिये अध्यक्ष ऐसे एक या एक से अधिक सदस्यों को जैसा वह उचित समझे इस निमित्त अधिकृत कर सकते हैं। ऐसे अधिकृत सदस्य/सदस्दयगण बैठक की कार्यवाही एवं उसमें अपने द्वारा दी गयी सलाह की लिखित रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।

(ख) आयोग की ओर से ऐसी योजना प्रक्रिया सम्बन्धित विषय पर यदि सलाह भेजे जाने की आवश्यकता हो तो उसे आयोग में बैठक में विचार विमर्श के पश्चात् भेजा जायेगा।

(ग) पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक विकास की प्रगति का मूल्यांकन हेतु आयोग सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी/संस्था से इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करेगा और तथ्यात्मक सूचना प्राप्त होने के पश्चात् उसके मूल्यांकन हेतु विषय को आयोग बैठक में रखा जायेगा।

12. अधिनियम की धारा–9(1)(ङ) से सम्बन्धित प्रक्रियाः–

आयोग के प्रत्येक वर्ष के सम्पूर्ण कार्यों का विवरण सहित रिपोर्ट अध्यक्ष के दिशा–निर्देशों पर सचिव द्वारा तैयार करायी जायेगी एवं रिपोर्ट पर आयोग की सहमति के उपरान्त शासन को प्रत्येक वर्ष में प्रेषित की जायेगी।

13. अधिनियम की धारा–9(1)(च) जो पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, सामाजिक, आर्थिक विकास के सम्बन्ध में राज्य सरकार के सिफारिश किया जाना, यह कार्य धारा–9(1)(ख) से आच्छादित है। अतः उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

14. अधिनियम की धारा–9(1)(छ) से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास

और अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में:–

(क) इसका दायित्व निर्वहन समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जाने पर आयोग द्वारा किया जायेगा।

(ख) इस उत्तरदायित्व का निर्वहन (जांच, विश्लेषण, रिपोर्ट की संरचना आदि) आयोग की अधिकृत समिति के मार्ग–दर्शन के अधीन किया जायेगा। यदि इसमें संस्था विशेष के आंकड़े, तथ्यों को एकत्रित करना भी सम्मिलित है, तो ऐसे दायित्व अध्यक्ष के मार्ग–दर्शन में निर्वहन किया जायेगा।

(ग) समिति की रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। तदोपरान्त आयोग अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित करेगा।

15. इस नियमावली में प्रदिष्ट प्रक्रिया के अतिरिक्त आवश्यकता होने पर आयोग अपनी बैठक में निर्णय लेते हुए विशिष्ट विषयों अथवा विषयवस्तु के सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगा।

ह0 अपठनीय	ह0 अपठनीय	ह0 अपठनीय	ह0 अपठनीय	ह0 अपठनीय
(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(सदस्य)	(सदस्य)	(सदस्य)

5 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यालय इन्दिरा भवन के तृतीय तल पर स्थित है। इसकी कोई शाखा नहीं है। आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके पद के अनुरूप कार्य निष्पादन हेतु दिशा निर्देश के रूप में कार्यालय कार्य प्रक्रिया विनियमावली निर्धारित की गयी है। जो निम्नवत् हैः–

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

उत्तर प्रदेश

कार्यालय कार्य प्रक्रिया विनियमावली

तृतीय तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ

कार्यालय कार्य प्रक्रिया नियमावली

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ0प्र0 राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–1, 1996 की धारा–8(2) के अनुसार आयोग कार्यालय के सामान्य कार्यों के प्रभावी सम्पादन हेतु एतद्द्वारा निम्न प्रकार से स्थायी कार्य संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है।

1. **प्रशासनिक प्रकोष्ठ**

प्रशासनिक प्रकोष्ठ से सम्बन्धित समस्त कार्मिकों के अधिष्ठान, लेखा तथा स्टोर से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन किया जायेगा। इस प्रकोष्ठ द्वारा निम्न प्रकार से कार्य किया जायेगा।

i) अधिष्ठान प्रकोष्ठ :

आयोग के कार्यालय से सम्बन्धित समस्त कार्मिकों के अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जायेंगे। अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्मिकों का अधिष्ठान नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थायीकरण, पदों की निरन्तरता, अनुशासनात्मक कार्यवाही, अवकाश आदि सम्बन्धित विधानसभा प्रश्नों/आश्वासन/वाद/प्रोटोकाल से सम्बन्धित समितियों, राष्ट्रीय तथा अन्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों से समन्वय आदि का कार्य सम्पादित किया जायेगा।

ii) लेखा प्रकोष्ठ :

वित्त एवं लेखा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन लेखा प्रकोष्ठ द्वारा सम्पादित किया जायेगा। जिसमें बजट प्रस्ताव, व्यय, वेतन विवरण तथा अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना, व्यय प्रस्ताव का परीक्षण करना, भुगतान आदेश प्राप्त करना तथा भुगतान करना, विधान सभा प्रश्न/आश्वासन/वाद आदि से सम्बन्धित समस्त कार्यों को सम्पादन वित्त एवं लेखाधिकारी के निर्देशन में किया जायेगा।

iii) भण्डार तथा अनुरक्षण प्रकोष्ठ :

आयोग के कार्यालय के उपयोग में आने वाली समस्त सामग्रियों के क्रय हेतु प्रस्ताव तैयार करना, स्टोर से सम्बन्धित सश्वर तथा नश्वर सामग्रियों का नियमानुसार परचेज रूल के अन्तर्गत क्रय एवं रख–रखाव, भण्डार पंजिका में अंकन, सत्यापन तथा अनुरक्षण का समस्त कार्य सम्पादित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत ही आयोग की गाड़ियों का क्रय, अनुरक्षण, पेट्रोल की खरीद, दूरभाष, फैक्स, फोटोकापियर, टाइपराईटर,

साइक्लोस्टाइल, इन्टरकाम आदि का अनुरक्षण का कार्य किया जायेगा। सामग्रियों का क्रय, वितरण तथा अनुरक्षण आदि प्रस्ताव पर वित एवं लेखा अधिकारी का मन्तव्य भी प्राप्त किया जायेगा।

<u>प्रशासनिक प्रकोष्ठ हेतु सामान्य निर्देश</u>

1. प्रशासनिक प्रकोष्ठ की पत्रावलियां सचिव के समक्ष या सचिव द्वारा नामित अधिकारी के माध्यम से सचिव के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी जो अन्तिम निर्णय हेतु मा0 अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
2. अध्यक्ष स्वयं अथवा किसी सदस्य के माध्यम से पत्रावली पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु समक्ष अधिकारी होंगे।

2. <u>अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में जाति सम्मिलन एवम् निष्कासन प्रकोष्ठ</u>

आयोग की प्रक्रिया नियमावली–1999 के नियम–8(क) से (घ) के अनुसार इस कार्य के लिये लगाये गये कर्मचारी द्वारा निम्नवत किया जायेगा :–

(1) एक माह के समय में प्राप्त सभी प्रत्यावेदनों को आयोग की बैठक में रखा जायेगा।

(2) सम्बन्धित सहायक प्रत्यावेदनों को शोध अधिकारी (जिनको आवंटित है) के माध्यम से सचिव के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सचिव अपनी टिप्पणी के उपरान्त अध्यक्ष/मा0 सदस्य (जिनको यह कार्य आवंटित है) के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(3) मा0 अध्यक्ष/सदस्य के निर्णय के उपरान्त प्रत्यावेदनों को आयोग की माह के प्रथम सप्ताह में होने वाली बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा। आयोग के निर्णय के उपरान्त विनियमावली–8(ग) के अनुसार सम्बन्धित पत्रावली में सार्वजनिक सूचना का प्रस्ताव उपरोक्त नियम–8(ग) के अनुसार किया जायेगा।

(4) प्रक्रिया विनियमावली–8(घ) में निर्दिष्ट व्यवस्था पर आयोग द्वारा जिन जातियों की प्रारम्भिक सुनवाई का निर्णय लिया जायेगा उन पर प्रत्यावेदनकर्ताओं को सार्वजनिक सूचना के अतिरिक्त व्यक्तिगत सूचना सचिव के हस्ताक्षर को दे दी जायेगी।

(5) यदि आयोग किसी प्रत्यावेदन पर आगे की कार्यवाही हेतु उपयुक्त नहीं पाता है तो उस प्रत्यावेदन को आयोग के निर्णय की प्रति संलग्न करके आयोग में रिकार्ड के रूप में रखा जायेगा एवं सूचना प्रत्यावेदक को दे दी जायेगी।

(6) यदि आयोग द्वारा प्रत्यावेदन पर कार्यवाही का निर्णय लिया जाता है तो प्रक्रिया विनियमावली–8(घ)(अ) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रश्नावली प्रारूप आयोग के शोध अनुभाग द्वारा तैयार करके आयोग के अनुमोदन के उपरान्त कार्य में लाया जायेगा।

(7) शोध प्रभाग आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जाति/समूह/वर्ग के सम्बन्ध में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित समिति/मा0 सदस्य (जो इस हेतु नामित हो) के समक्ष प्रस्तुत करेगा। शोध कार्य के लिये आवश्यक दिशा निर्देश भी सम्बन्धित समिति/मा0 सदस्य से प्राप्त किये जायेंगे।

(8) सर्वेक्षण रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत होने पर प्रक्रिया नियमावली–8(ग) के अनुसार सार्वजनिक सूचना का कार्य सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(9) प्रत्यावेदन की सुनवाई के समय पेशकार के अतिरिक्त सम्बन्धित जाति का शोध करने वाले शोध अधिकारी भी सुनवाई के समय उपस्थित रहेंगे।

(10) जाति/समूह/वर्ग के प्रत्यावेदन पर अन्तिम सुनवाई के उपरान्त आयोग की संस्तुति तैयार होगी। संस्तुति सम्बन्धित प्रकोष्ठ द्वारा शासन को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(11) जातियों के सम्बन्ध में शासन द्वारा सूचना मांगे जाने पर पत्रावली सम्बन्धित जाति का शोध कर रहे शोध अधिकारी के माध्यम से यथा स्थिति का विवरण देते हुए कर्मचारी द्वारा सचिव महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी जिस पर मा0 अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त शासन को उत्तर दिया जा सकेगा।

(12) यदि शोध अधिकारी उपलब्ध नहीं है तथा सूचना तत्काल दिया जाना आवश्यक है तो सम्बन्धित प्रकोष्ठ के जिम्मेदार कर्मचारी द्वारा सीधे आयोग के प्रशासनिक कार्यों को देख रहे अधिकारी के माध्यम से सचिव के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

3. **शिकायत प्रकोष्ठ**

पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग अधिनियम–9 (1) ख, ग के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण के लिये आयोग की विनियमावली–1999 के नियम 9 के अनुसार कार्यवाही किये जाने के लिये शिकायत प्रकोष्ठ के दो भाग होंगेः–

1. आरक्षण से सम्बन्धित प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण प्रकोष्ठ (आारक्षण प्रकोष्ठ)।
2. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अन्य पिछड़े वर्गों के लिये उपबन्धित मामले पर अन्वेषण हेतु प्रकोष्ठ (रक्षोपायों से सम्बन्धित प्रकोष्ठ)।

1. **आरक्षण प्रकोष्ठ**

इस कार्य हेतु नामित समिति/सदस्य द्वारा प्राप्त शिकायती पत्र पर उल्लिखित निर्देश के बाद शिकायती पत्र अन्वेषण अधिकारी जो (नामित हो) को सचिव के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। अन्वेषण अधिकारी द्वारा समिति/सदस्य के निर्देशानुसार प्रथम दृष्टया जो आदेश दिये गये हैं निम्न कार्यवाही की जायेगी।

(क) सम्बन्धित संस्था, विभाग के सम्बन्धित अधिकारी से आख्या प्राप्त की जायेगी। इस कार्य के लिये सम्बद्ध कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(ख) आख्या प्राप्त होने के उपरान्त कार्यालय एवं अन्वेषण अधिकारी द्वारा शिकायत के सापेक्ष शासनादेशों को उल्लेख करते हुए विवरणात्मक टिप्पणी सचिव महोदय के माध्यम से इस कार्य हेतु नामित सदस्य के समक्ष अगले आदेश हेतु रखी जायेगी। समिति एवं सदस्य द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ग) यदि शिकायती पत्र को मूलरूप के भेजे जाने के आदेश दिये गये हैं तद्नुसार मूलरूप में भेजकर कार्यालय पत्र की प्रति रिकार्ड में रखी जायेगी।

(घ) आरक्षण से सम्बन्धित शिकायती पत्र की महत्ता के दृष्टिगत रखते हुए वरीयता क्रम में पहले तिथि निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव रखा जायेगा।

2. **रक्षोपायों से सम्बन्धित प्रकोष्ठ :–**

रक्षोपायों से सम्बन्धित शिकायती पत्रों पर मा0 सदस्य/समिति द्वारा जो निर्देश दिये जायेंगे उन्हें सम्बन्धित अन्वेषण अधिकारी द्वारा वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो आरक्षण से सम्बन्धित होगी।

आरक्षण एवं रक्षोपायों से सम्बन्धित प्रकोष्ठों हेतु सामान्य नियम :–

प्रत्येक प्रकोष्ठ में शिकायती पत्रों के रिकार्ड के लिये एक रजिस्टर रहेगा जिसमें प्रस्तुत शिकायती पत्रों का एक निर्धारित प्रारूप पर विवरण रखा जायेगा।

3. **आयोग की धारा–9(1)(घ), (च) के दायित्व निर्वहन में प्रक्रिया :–**

पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक विकास योजना प्रक्रिया में भाग लेने और उन पर सलाह और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। इस दायित्व के निर्वहन हेतु निम्न प्रकोष्ठ कार्य करेंगे:–

(1) मूल्यांकन प्रकोष्ठ

(2) नियोजन प्रकोष्ठ

1. **मूल्यांकन प्रकोष्ठ**

उत्तर प्रदेश शासन के समस्त विभागों से पिछड़े वर्गों के लिये लागू आरक्षण अधिनियम के क्रम में नौकरियों में आरक्षण, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण एवं पिछड़े वर्गों के लिये लागू रक्षोपयों से सम्बन्धित नियमों के तहत शासन से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से समस्त निदेशालयों स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं अन्य जहां भी आरक्षण लागू हो, से विवरण प्राप्त किया जायेगा। विवरण प्राप्त होने पर इनकी रिपोर्ट तैयार कर इस कार्य हेतु नामित सदस्य/समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

प्रक्रियाः–

आयोग के इस कार्य हेतु नामित सदस्य/समिति अथवा आयोग की बैठक में निर्णय के उपरान्त सचिव महोदय के आदेशानुसार अधीनस्थ स्टाफ निम्नवत् कार्य करेगा।

1. जिस विभाग से विवरण प्राप्त किया जाना है उसका प्रस्ताव आयोग के समक्ष रखा जायेगा अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित विभाग को सचिव के माध्यम से पत्र भेजा जायेगा।
2. सहायक द्वारा पत्रावली पर पूर्ण विवरण प्रस्ताव अन्वेषण अधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। मूंल्याकन का समस्त कार्य अन्वेषण अधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा।

3. **नियोजन प्रकोष्ठः–**

पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक, आर्थिक विकास के लिये रक्षोपायों और उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये प्रतिवेदन में उन उपायों के सम्बन्ध में जो राज्य सरकार द्वारा किये जाये, सिफारिश करना।

इस कार्य हेतु नामित सदस्य के मार्ग निर्देशन में सचिव द्वारा प्रदत्त निर्देशों को कार्यालय द्वारा निम्न प्रकार से किया जायेगाः–

इस कार्य के लिये आयोग के अन्वेषण अधिकारी का पूर्ण दायित्व होगा। यदि कोई प्रत्यावेदन आयोग के सदस्य/समिति द्वारा पार्श्वांकित आदेशों के तहत प्रेषित किया जाता है तो अन्वेषण अधिकारी द्वारा उनकी देख–रेख में अधीनस्थ स्टाफ द्वारा किया जायेगा एवं सहायक समस्त अभिलेखों का रख–रखाव करेगा।

अधिनियम–9(1)(ङ) से सम्बन्धित प्रक्रियाः–

राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक एवं ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

इस कार्य हेतु आयोग विनियमावली–1999 के नियम 12 द्वारा अध्यक्ष के निर्देश पर तैयार कराने की व्यवस्था है। इस कार्य हेतु सचिव द्वारा जिस किसी

अधिकारी को जिम्मेदारी दी जायेगी वह आयोग कार्यालय के सभी प्रकोष्ठों से सूचना/विवरण प्राप्त कर (जो रिपोर्ट के लिये आवश्यक हों) रिपोर्ट का आलेख्य सचिव की देख–रेख में तैयार करेगा।

6 **प्रकोष्ठों के लिये सामान्य नियमः–**

1. कार्यालय के सभी प्रकोष्ठों में विचाराधीन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त तीन दिन के अन्दर पत्र के सम्बन्ध में विवरण सहित पत्रावली सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. पत्रावलियों पर टिप्पणी स्पष्ट एवं नियमों का उल्लेख करते हुए करना आवश्यक होगा।
3. यदि किसी पत्रावली मे कोई आदेश/निर्देश दिये गये हैं उनका पालन सम्बन्धित प्रकोष्ठ के कार्मिक को चार दिन के अन्दर करना अनिवार्य होगा।
4. शिकायती पत्रों पर मा0 आयोग के निर्णय से सभी पक्षों को सूचित करना सम्बन्धित प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी होगी।

कार्यालय प्रक्रिया नियमावली में संशोधन :–

कार्यालय कार्य प्रक्रिया विनियमावली में संशोधन आवश्यकतानुसार आयोग द्वारा बैठक में संशोधन प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त किया जा सकेगा।

7 आयोग के निर्धारित कार्यों के लिये जो दायित्व निर्धारित किये गये हैं, उसमें प्रतिवेदनों, अभिलेखों तथा मौखिक चर्चा कर जनता से सीधे अभिकथन प्राप्त कर राज्य सरकार को पिछड़े वर्गों के हितों के लिये सलाह दी जाती है।

8 आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण राज्य सरकार द्वारा नामित होते है। जनता द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनों को आयोग की बैठकों में विचार उपरान्त निर्णय/संस्तुतियों को सचिव द्वारा अभिप्रमाणित करके शासन को प्रेषित किये जाते हैं।

9 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्य किये जाने हेतु नियम निर्धारित किये गये हैं, जो की बिन्दु संख्या–5 में अंकित है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर कार्यालय आदेशों के माध्यम से निर्देश दिये जाते हैं।

10 आयोग के पदाधिकारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले वेतनमान एवं पारिश्रमिक का विवरण निम्नवत् हैः–

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का संगठनात्मक ढॉचा

अध्यक्ष

|

उपाध्यक्ष

|

सदस्य

|

सचिव

|

|

|

अन्वेषण अधिकारी

शोध अधिकारी
अपर शोध अधिकारी
(सांख्यकी)

कार्यालय स्थापना

1– प्रशासनिक अधिकारी
2– वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1
3– प्रधान सहायक
4– वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2
5– वरिष्ठ सहायक
6– आशुलिपिक
7– कनिष्ठ सहायक
8– चालक
9– चपरासी

वित्त एवं लेखाधिकारी

|

सहायक लेखाकार

पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के लिये स्वीकृत पद एवं कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम एवं पदनाम एवं वेतनमान का विवरणः–

क0 सं0	अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7
01	————	अध्यक्ष	40,000/– नियत	01	––	01
02	डा0 जसवंत सैनी	उपाध्यक्ष	35,000/– नियत	02	02	शून्य
03	श्री हीरा ठाकुर,	उपाध्यक्ष	35,000/– नियत			
04	श्री गुलफाम यादव,	सदस्य	25,000/– नियत	25	20	05
05	श्री रामपाल नेहरा	सदस्य	25,000/– नियत			
06	श्री रामजीलाल कश्यप	सदस्य	25,000/– नियत			
07	श्री जगदीश पांचाल	सदस्य	25,000/– नियत			
08	श्री विजेन्द्र भाटी	सदस्य	25,000/– नियत			

09	श्री पूरण लाल लोधी	सदस्य	25,000/– नियत			
10	श्री चौधरी नत्थी सिंह	सदस्य	25,000/– नियत			
11	श्री राम किशोर साहू	सदस्य	25,000/– नियत			
12	डा0 बी0डी0 प्रजापति	सदस्य	25,000/– नियत			
13	श्री मुखलाल पाल	सदस्य	25,000/– नियत			
14	श्रीमती शकुन्तला निषाद	सदस्य	25,000/– नियत			
15	श्री बलराम मौर्य	सदस्य	25,000/– नियत			
16	डॉ0 त्रिपुणायक विश्वकर्मा	सदस्य	25,000/– नियत			
17	श्री शिव शंकर पटेल	सदस्य	25,000/– नियत			
18	श्री प्रभुनाथ चौहान	सदस्य	25,000/– नियत			
19	श्री रामजियावन मौर्य	सदस्य	25,000/– नियत			
20	श्री राजबहादुर सिंह	सदस्य	25,000/– नियत			
21	श्री चन्द्रपाल खडगवंशी	सदस्य	25,000/– नियत			
22	श्री जवाहर लाल पटेल	सदस्य	25,000/– नियत			
23	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह (पटेल)	सदस्य	25,000/– नियत			
24	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	सचिव		01	01	शून्य
25	श्री साहित्य कुमार कटियार	वित्त एवं लेखाधिकारी	56100–1,77,500 लेवल–10	01	01	शून्य
26	श्री जय सिंह	अन्वेषण अधिकारी	56100–1,77,500 लेवल–10	02	02	शून्य
27	श्री मनोज कुमार विमल	अन्वेषण अधिकारी	56100–1,77,500 लेवल–10			
28	श्रीमती गीतांजली श्रीवास्तव	शोध अधिकारी	56100–1,77,500 लेवल–10	02	02	शून्य
29	श्री कृष्ण कुमार	शोध अधिकारी	56100–1,77,500 लेवल–10			
30	श्रीमती गीता सचान	अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकी)	44900–1,42,400 लेवल–7	04	04	शून्य
31	श्री सत्य प्रकाश सिंह	अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकी)	44900–1,42,400 लेवल–7			
32	श्री राधे कृष्ण	अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकी)	44900–1,42,400 लेवल–7			
33	श्री देवर्षि कुमार चौधरी	अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकी)	44900–1,42,400 लेवल–7			
34	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव	प्रशासनिक अधिकारी	44900–1,42,400 लेवल–7	02	02	शून्य
35	श्री विनेश सिंह	प्रशासनिक अधिकारी	44900–1,42,400 लेवल–7			
36	श्री राम प्रकाश त्रिपाठी	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–I	44900–1,42,400 लेवल–7	01	01	शून्य
37	श्री शंकर सिंह	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–II	35400–1,12,400 लेवल–6	04	04	शून्य
38	श्री प्रदीप कुमार कौल	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–II	35400–1,12,400 लेवल–6			

39	श्री महेश प्रसाद	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–II	35400–1,12,400 लेवल–6			
40	श्री ब्रजेश्वर सिंह	वैयक्तिकसहायकग्रेड–	35400–1,12,400 लेवल–6			
41	श्री दिनेश कुमार बाल्मीकि	प्रधान सहायक	35400–1,12,400 लेवल–6	03	03	शून्य
42	श्री सन्तोष कुमार सिंह	प्रधान सहायक	35400–1,12,400 लेवल–6			
43	श्री धर्मेन्द्र सिंह	प्रधान सहायक	35400–1,12,400 लेवल–6			
44	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	सहायक लेखाकार	29200–92300 लेवल–5	01	01	शून्य
45	श्री जितेन्द्र कुमार	आशुलिपिक	29200–92300 लेवल–5	02	01	01
46	श्री कृष्णा नन्द सिंह	वरिष्ठ सहायक	29200–92300 लेवल–5	03	03	शून्य
47	श्रीमती सुनीता वर्मा	वरिष्ठ सहायक	29200–92300 लेवल–5			
48	श्रीमती प्रमिला	वरिष्ठ सहायक	29200–92300 लेवल–5			
49	श्री कृष्ण आसरे सिंह	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 लेवल–3	04	04	शून्य
50	श्री अनिल कुमार कुशवाहा	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 लेवल–3			
51	श्री सुशील कुमार पाण्डेय	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 लेवल–3			
52	श्री निखिल सिंह	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 लेवल–3			
53	श्री सतीश कुमार	चालक	19900–63200 लेवल–2	06	04	02
54	श्री जावेद हुसैन	चालक	19900–63200 लेवल–2			
55	श्री जगत नारायण सिंह	चालक	19900–63200 लेवल–2			
56	श्री सालिक राम	चालक	19900–63200 लेवल–2			
57	श्री कमलेश कुमार मौर्य	चपरासी	18000–56900 लेवल–1	12	12	शून्य
58	श्री कमलेश कुमार सिंह	चपरासी	18000–56900 लेवल–1			
59	श्री अनिल कुमार	चपरासी	18000–56900 लेवल–1			
60	श्री अनिल कुमार कश्यप	चपरासी	18000–56900 लेवल–1			

61	श्री सन्तोष कुमार	चपरासी	18000–56900 लेवल–1			
62	श्री दिनेश कुमार	चपरासी	18000–56900 लेवल–1			
63	श्री हरिहर प्रसाद यादव	चपरासी	18000–56900 लेवल–1			
64	श्री अनिल कुमार धूसिया	चपरासी	18000–56900 लेवल–1			
65	श्री अमित गुप्ता	चपरासी	18000–56900 लेवल–1			
66	श्री सुरेश कुमार	चपरासी	18000–56900 लेवल–1			
67	श्री द्वारिका प्रसाद	चपरासी	18000–56900 लेवल–1			
68	श्री संजय कन्नौजिया	चपरासी	18000–56900 लेवल–1			
				76	67	09

11 एवं 12 **बजट विवरणः–**

आयोग द्वारा योजनाओं का संचालन नही किया जाता है। आयोग अधिनियम–1996 की धारा–12 के अन्तर्गत स्वीकृत बजट से आयोग अधिनियम में दिये गये दायित्वों के निर्वहन हेतु व्यय किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–2019 में शासन से रू0 541.24 लाख की बजट धनराशि प्राप्त हुई और रू0 461.26 लाख की बजट धनराशि आयोग के कार्यों हेतु व्यय की गयी तथा रू0 79.98 लाख की धनराशि शासन को समर्पित की गयी।

वित्तीय वर्ष 2019–2020 में शासन से रू0 5,82,36,000 की बजट धनराशि प्राप्त हुई और रू0 5,66,09,623 की बजट धनराशि आयोग के कार्यों हेतु व्यय की गयी तथा रू0 16,26,377 की धनराशि शासन को समर्पित की गयी।

13 एवं 14 आयोग द्वारा अधिनियम में दिये गये दायित्वों के अन्तर्गत शासन को समय–समय पर संस्तुतियॉ दी जाती है। जिसके अन्तर्गत जातियों के सम्मिलन से सम्बन्धित प्रतिवेदन व शिकायती पत्रों पर शासन को समय–समय पर संस्तुतियॉ दी जाती है। आयोग द्वारा अपने कार्यों के क्रम में मूल्यांकन, सर्वेक्षण आदि मा0 आयोग के निर्णयानुसार किया जाता है।

15 आयोग अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधानित प्रक्रिया में सूचना उपलब्ध करायी जाती है। प्रक्रिया में सुनवाई की जाती है। साथ ही बैठने तथा वाचनालय आदि की व्यवस्था कक्षों के अभाव में नहीं हो पा रही है।

16 सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आयोग से सूचना प्राप्त करने हेतु राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव प्रथम अपीलीय अधिकारी होते है और जन सूचना अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी, श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव नामित है। आयोग से सम्बन्धित सूचनाएं विभागीय होने के कारण सही तथा प्रक्रिया अनुसार देने के लिए उपयोगी होना विशिष्ट है।

17 आयोग द्वारा दायित्वों के क्रम में पिछड़े वर्गों के विकास की आरक्षण उपरान्त प्रगति का मूल्यांकन करेगा तथा उसका विवरण प्रत्येक 10 वर्षों में अद्यतन कर जारी किये जाने की योजना है। आयोग द्वारा अपने कृत्यों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के रूप में शासन को प्रेषित की जाती है।

पिछड़े वर्गों का जहां आरक्षण है :–

1. सरकारी नौकरियॉ।
2. शिक्षण संस्थाएं।
3. तकनीकी शिक्षण संस्थाएं (सी0पी0एम0टी0 इंजीनियरिंग के प्रवेश में आरक्षण)
4. सरकारी आवास।
5. सरकारी छात्रावास।
6. विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद के भवन, भूखण्ड तथा व्यवसायिक भूखण्डों में ।
7. मण्डी परिषद की दुकानों में।
8. नगर निगम, नगर पालिका द्वारा निर्मित दुकानों में।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की अनुमन्य सूची में सम्मिलित जातियॉ
(अद्यावधिक)

1	अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय, भुर्तिया	41	भुर्जी, भड़भुजा, भूँज, कांदू, कशोधन
2	सोनार, सुनार, स्वर्णकार	42	भठियारा
3	जाट	43	माली
4	कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी–मल्ल, कुर्मी–सैंथवार	44	स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों), हलालखोर
5	थगरि	45	रिक्त
6	गूजर	46	लोनिया, नोनिया, गोले–ठाकुर, लोनिया–चौहान
7	गोसाई	47	रंगरेज, रंगवा
8	लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत	48	मारछा
9	कम्बोज	49	हलवाई, मोदनवाल
10	अरख, अर्कवंशीय	50	हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास
11	काछी, काछी–कुशवाहा, शाक्य,	51	राय सिक्ख

शिकायत किस पते पर करें :–

अध्यक्ष,
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश
तृतीय तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ
फोन नं0 :– 0522–2287243
0522–2287076 (ई0पी0वी0एक्स0)
फैक्स नं0 :– 0522–2287215

जनसूचना हेतु सम्पर्क किये जाने के लिए दूरभाष नम्बरः–

1– प्रथम अपीलीय अधिकारी 0522–2288311

2– प्रभारी अधिकारी जनसूचना 0522–2287076

3– जनसूचना अधिकारी 0522–2287076